न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 83/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. शम्भुराम उर्फ अमराराम पुत्र पाबूराम जाति भाट निवासी— शिवनगर, तहसील सोजत जिला— पाली	1.	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि— धारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955 सहपठित धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थितिः—

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार, सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 08/9/22

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा शिवनगर पटवार हल्का चाडवास तहसील सोजत जिला पाली में वादी की कब्जा काश्त सूदा एवं खरीद सुदा कृषि भूमि आई हुई है जिसके खाता नम्बर 131 के खसरा नम्बर 173, 174 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.2900 हैक्टर किस्म बा0अ0 है। वादस्थ कृषि भूमि पूर्व में संवत 2042—47 की जमाबंदी में गणेश पुत्र किशनाराम जाति गुर्जर निवासी पांचवा खुर्द तहसील सोजत की खातेदारी हक हकूक की दर्ज है। जिस पर पूर्व खातेदार गणेश पुत्र किशना का कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक निर्बाध रूप से चला आ रहा था। गणेश पुत्र किशना जाति गुर्जर निवासी पांचवा खुर्द तहसील सोजत ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि दिनांक 31.08.1990 को 15000/— रूपए मालियत राशि प्राप्त कर मोतीराम पुत्र पाबूराम एवं शम्भुराम पुत्र पाबुराम को बेचान कर दी । तब से निरन्तर आज दिन तक वादस्थ कृषि भूमि पर वादी व मोतीराम पुत्र पाबुराम का मौके पर अनवरत कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वक्त खरीद बेचाननामा में वादी का नाम अमराराम पुत्र पाबूराम जाति भाट निवासी— झुपेलाव तहसील सोजत दर्ज हो गया है जिसके कारण उक्त बेचाननामा के आधार पर म्यूटेशन व जमाबंदी में अमराराम पुत्र पाबुराम जाति भाट निवासी झूपेलाव तहसील सोजत दर्ज हो चुका है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम शम्भूराम पुत्र पाबुराम है। अमराराम पुत्र पाबुराम एवं शम्भुराम पुत्र पाबूराम दोनो ही एक ही व्यक्ति के दो नाम है। वादी को घर परिवार एवं समाज में शम्भुराम पुत्र पाबूराम के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। वादी के पहचान संबंधित समस्त दस्तावेज (आधार कार्ड, एसबीआई बैक खाता डायरी, वाहन चालक अनुज्ञा पत्र) में शम्भूराम पुत्र पाबूराम दर्ज है व वादी की पुस्तैनी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

कृषि भूमि सरहद मौजा शिवनगर में ही खसरा नम्बर 175 रकबा 3.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर 185 रकबा 1.3700 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 4.3700 हैक्टर में शम्भुराम पुत्र पाबुराम ही दर्ज है। वादी मात्र साक्षर है। वादी को राजस्व रेकार्ड एवं कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिनांक 04.06.2019 को वादी अपनी उपरोक्त कृषि भूमि पर लोन लेने हेतु जमाबंदी की नकले लेने पर व रजिस्ट्री की मूल प्रति पढाने पर सर्वप्रथम वादी को जानकरी में आया कि वादी का नाम बेचान रजिस्ट्री में गलत दर्ज होने के कारण ही म्यूटेशन व जमाबंदी में गलत नाम अमराराम पुत्र पाबूराम जाति भाट दर्ज हो गया है। तब वादी ने अपने अधिवक्ता से भूमि धारक तहसीलदार, सोजत को धारा 80 सीपीसी का वैधानिक नोटिस दिलवाया। परन्तु तहसीलदार सोजत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में वादी के पास खातेदारी की घोषणा वाद पेश के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होने के कारण यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी श्रीमान के समक्ष पेश किया है।

इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने राजस्व वादपत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा शिवनगर पटवार हल्का चाडवास तहसील सोजत के नए खसरा नम्बर 173 व 174 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.2900 हैक्टर किस्म बा0अ0 में दर्ज अमराराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर शम्भूराम पुत्र पाबूराम संशोधित किए जाने तथा वादी शम्भूराम पुत्र पाबूराम को उरोक्त कृषि भूमि में 01/02 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने की ईश्तदुआ की है।

राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। तहसीलदार, सोजत प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश नहीं करना चाहने पर दिनांक 10.08.2022 को जवाब दावा पेश करने का अवसर बंद किया जाता है। कोई प्रतिकारात्मक टिप्पणी नही होने से पत्रावली में तनकीकायम नही की गई।

हस्तगत प्रकरण में वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश करने हेतु तहसीलदार सोजत को निर्देशित किया गया तहसीदार सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2021/4329 दिनांक 01.11.2021 द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि राजस्व रेकर्डानुसार खाता नम्बर 173, 174 कुल 2 खसरा कुल रकबा 3.2900 हैक्टर में अमराराम पुत्र पाबूराम हिस्सा 01/02 मुकेशराम पुत्र मोतीराम सुआदेवी पत्नी मोतीराम हिस्सा 01/02 कौम भाट सा0 देह खातेदार के नाम से खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि पर वादीगण शम्भूराम पुत्र पाबूराम 01/02 का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है। मौतबिरानो ने बताया कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज अमराराम पुत्र पाबूराम वादीगण शम्भूराम पुत्र पाबुराम एक ही व्यक्ति है। उक्त भूमि पर वादी शम्भूराम वर्षो से बिना किसी वाद विवाद के कब्जा काश्त करता आ रहा है तथा वादीगण शम्भूराम का संयुक्त मालिकाना हक है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण के मुख्यपरीक्षण हेतु वादी स्वयं का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर वादी स्वयं के बयान पीडब्ल्यु–1 कलमबद्ध करवाये गए। तथा स्वतंत्र गवाह मदनलाल पीडल्यू 02, रतनलाल पीडल्ब्यू 3 के बयान कलमबद्ध करवाये गये, सा0मि0 है। अधिवक्ता मय वादी पे बैचान रजिस्ट्री दिनांक 31. 08.1990 पेश की जो प्रदर्श– 1 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 1 ए है जिसमें खरीदकर्ता का नाम अमराराम पुत्र पाबुराम दज है तथा यह पंजीयन दस्तावेज वादस्थ भूमि का है। जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श –2 है, जिसमें वादी का नाम अमराराम पुत्र पाबुराम दर्ज है।, वादी के पहचान पत्र की छाया प्रति प्रदर्श–3ए है, आधार कार्ड की छाया प्रति प्रदर्श –4ए है , राशन कार्ड की छाया प्रति प्रदर्श–5 ए है, बैंक खाता डायरी की छाया प्रति प्रदर्श– 6ए है।, ड्राईविंग लाईसेन्स की छाया प्रति प्रदर्श–7ए है जिसमें वादी का नाम शम्भुराम पुत्र पाबुराम अंकित है। अन्य कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2072–75 मौजा शिवनगर ख.नं. 175 व 185 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –8 पेश की है जिसमें वादी का नाम शम्भुराम पुत्र पाबुराम दर्ज है। बैचान/पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 01.08.2017 की की छाया प्रति प्रदर्श –9 ए है जिसमें खरीदकर्ता वादी स्वयं है जिसका नाम शम्भुराम पुत्र पाबुराम अंकित है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा शिवनगर, तहसील सोजत के नए खसरा नम्बर 173 व 174 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.2900 हैक्टर में दर्ज अमराराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर शम्भूराम पुत्र पाबूराम को उरोक्त कृषि भूमि में 01/02 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार सोजत ने भी स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है तथा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड मय अभिशंषा में उल्लेखित किया है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात तथा गवाह के बयानों तथा तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट वस्तुस्थिति का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा वादी के पहचान पत्र की छाया प्रति प्रदर्श–3ए है , आधार कार्ड की छाया प्रति प्रदर्श –4ए है , राशन कार्ड की छाया प्रति प्रदर्श–5 ए है, बैंक खाता डायरी की छाया प्रति प्रदर्श– 6ए है।, ड्राईविंग लाईसेन्स की छाया प्रति प्रदर्श–7ए है जिसमें वादी का नाम शम्भुराम पुत्र पाबुराम अंकित है। वादी के अन्य राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2072–75 मौजा शिवनगर के ख.नं. 175 व 185 कीप्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –8 में भी वादी का नाम शम्भुराम पुत्र पाबुराम बतौर खातेदार दर्ज है। तहसीदार सोजत द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति रिपोर्ट में वादी को ही वादस्थ भूमि का ही कब्जा काश्त होना बताया है तथा अमराराम पुत्र पाबुराम तथा शम्भुराम पुत्र पाबुराम दोनो को

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

एक ही व्यक्ति होना बताया है। वस्तुतः उपरोक्त विवेचन / विश्लेषण से वादी का सही एवं वास्तविक नाम शम्भुराम पुत्र पाबुराम होने की सम्पुष्टि होती है। लिहाजा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा शिवनगर, तहसील सोजत के नए खसरा नम्बर 173 व 174 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.2900 हैक्टर किस्म बा0अ0 कृषि भूमि में दर्ज अमराराम पुत्र पाबूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदानुसार के स्थान पर शम्भूराम पुत्र पाबूराम संशोधित किए जाने तथा वादी शम्भूराम पुत्र पाबूराम को उरोक्त कृषि भूमि में 01/02 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा शिवनगर, तहसील सोजत के नए खसरा नम्बर 173 व 174 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.2900 हैक्टर किस्म बा0अ0 कृषि भूमि में दर्ज खातेदार अमराराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर शम्भूराम पुत्र पाबूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदुनसार दुरूस्त रूप से इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। तदोनुसार अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 02/12/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत